156

TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (केम्प उज्जैन)

निगरानी क्रमांक : /२०११ (दो हजार ग्यारह) R-717-II/2011

जीवनपुरी पिता श्री हरिशंकर पुरी, उम्र अन्दाजन - ३६ वर्ष
धंधा - पूजा-अर्चना, निवासी - तम्बोली मोहल्ला, भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)

----- आवेदक

विरूद्ध

१. राजु गिरी पिता कन्हैयालाल, उम्र अन्दाजन - ४२ वर्ष,
धंधा - कृषि, निवासी - भानपुरा, जिला - मंदसौर (म.प्र.)

२. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, गरोठ
जिला - मंदसौर

----- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता बनाराजी आदेश दिनांक : २४.०१.२०११ जो विद्वान आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा द्वितिय अपील क्रमांक १२५/२००८-२००९ में पारित किया गया एवं जिसके माध्यम से विद्वान कलेक्टर महोदय, जिला-मंदसौर के प्रथम अपील क्रमांक : २६/२००८-२००९ में पारित आदेश दिनांक ०६.०४.२००९ को अपास्त कर दिया गया एवं प्रकरण ग्राम सभा को पुजारी नियुक्ति हेतु प्रत्यावर्तित किया गया ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

०१. यह कि, नगर पंचायत परिषद, भानपुरा की परिधिक्षेत्र कस्बा भानपुरा वॉर्ड क्रमांक १३ में स्थित ग्राम उर्जनवासा, भानपुरा में देवस्थान श्री महादेव मंदिर स्थित हैं । उक्त मंदिर की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक २६६ रकबा ७.६६० हैक्टेयर ग्राम रातागुराड़िया पटवारी हल्का क्रमांक ६ में स्थित हैं । उक्त मंदिर की पूजा-अर्चना आवेदक के दादाजी भोलूपुरी गुरू गंगापुरी करते चले आ रहे थे । इन्दुर दरवार होल्कर स्टेट के द्वारा ०७.०८.१९२१ को आवेदक के दादा भोलूपुरी का नाम बतौर मंदिर के पुजारी के रूप में अंकित किया जाकर मंदिर की कृषि भूमि पर भोलूपुरी जी खेती करते चले आ रहे थे ।

०२. यह कि, आवेदक के दादा भोलूपुरी जी द्वारा दिनांक १०.०५.१९६२ में वंश परम्परा अनुसार आवेदक के पिता हरिशंकर पुरी को उक्त मंदिर की पूजा-अर्चना का उत्तराधिकारी नियुक्त किया । दिनांक ११.०१.२००० को आवेदक के पिता हरिशंकर पुरी का स्वर्गवास हो गया । आवेदक के पिता के समय से ही मंदिर की पूजा अर्चना आवेदक करता चला आ रहा था एवं आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद से आवेदक ही मंदिर में पूजा अर्चना करता चला आ रहा हैं एवं मंदिर की भूमि पर खेती करता चला आ रहा है ।

जीवनपुरी

निरंतर - ०२

(156)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(105)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-717-दो/2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 17-12-2013 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	